



सम्पदा अनुभाग
आई सी० ए० आर० - भारतीय पशु-विकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली
Estate Section
ICAR - Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly



पत्रांक संख्या 1-3/2019-20/सम्पदा


दिनांक 21/08/2020

कार्यालय आदेश

आवास आबंटन समिति की संस्तुति पर, निदेशक महोदय, भा० प० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर, के द्वारा संस्थान में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए आवासों को आबंटित करने कि सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है:-

परिवर्तन / वरिष्ठता के आधार पर आबंटित आवास

क्र० सं०	नाम एवं पद	वर्तमान आवास संख्या	आबंटित आवास संख्या
1.	श्री मनोज कुमार, सहायक	-----	H-Type III Qr.No.18
2.	श्री भोलादत्त जोशी, कु०सह० कर्म०	Type I Qr.No.109	Type II Qr.No. 27
3.	श्री राम किशन, कु०सह० कर्म०	Type I Qr.No. 140	Type II Qr.No. 17
4.	श्री संजय कुमार सिंह, कु०सह० कर्म०	Type II Qr.No. 56	Type II Qr.No. 23
5.	श्री मुकेश गौतम, कु०सह० कर्म०	-----	Type II Qr.No. 03
6.	श्री बसन्त बल्लभ, कु०सह० कर्म०	Type II Qr.No. 25	H-Type III Qr.No.21
7.	श्री त्रिलोक चन्द्र, कु०सह० कर्म०	Type I Qr.No. 63	Type III Qr.No.44
8.	सुश्री अर्चना रानी, टी-3	Type II Qr.No. 58	Type III Qr.No.39
9.	श्री कैलाश प्रकाश, टी-3	-----	Type III Qr.No.68
10.	श्री नितिन कुमार, टी-1	Type II Qr.No.67	Type III Qr.No.36
11.	श्री प्रमोद, टी-1	-----	Type III Qr.No.56
12.	श्री मधुर कुमार, टी-1	Type II Qr.No.61	Type II Qr.No.08
13.	श्री अनिल पाल, टी-1	-----	Type II Qr.No.28
14.	श्री रविकान्त यादव, टी-1	Type II Qr.No.46	Type III Qr.No.34
15.	श्री अंकित साहू, टी-1	Type II Qr.No. 09	Type III Qr.No.47
16.	श्री संजय कुमार, टी-1	Type I Qr.No.86	Type III Qr.No.40
17.	श्री भोलानाथ गौतम, टी-1	Type I Qr.No.65	G-Type II Qr.No. 82
18.	श्री रवि कुमार, टी-1	Type I Qr.No.97	Type II Qr.No.02
19.	श्रीमती सुलक्षणा हाबिल, कु०सह० कर्म०	Type I Qr.No.108	Type II Qr.No.54


21/8/20
(सरवर अली)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सम्पदा)

वितरण:-


- कार्यालय आदेश में वर्णित सभी कर्मचारियों को उनके आसन्न अधिकारियों के माध्यम से।
- संयुक्त निदेशक, (कैडराड) एवं अध्यक्ष, आवास आबंटन समिति, भा० पशु० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर।
- नियंत्रक, भा० पशु० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर।
- सहा० प्रशा० अधिकारी (O.P.R/A/C-I & II) भा० पशु० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर।
- प्रभारी अधिकारी, अभियान्त्रिकी अनुभाग, भा० पशु० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर को इस आशय के साथ कि उपरोक्त आवासों में यदि कोई मरम्मत आदि कि व्यवस्था कि जानी है तो उसे शीघ्र पूर्ण करें ताकि सम्बन्धित कार्मिक, आवास को शीघ्र ग्रहण कर सकें।

क०प०३०

6. प्रमारी एरिस सेल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. निदेशक के व्यक्तिगत सचिव, भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।
8. सहा0 प्रशा0 अधिकारी (ई-1 / 11/ 111) भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।
9. श्री गोपाल राम, एस0एस0एस0 (सम्पदा अनुभाग) भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।
10. सम्बन्धित पत्रावली / रक्षक पत्रावली।

आवास आबंटन की शर्तें

1. आबंटिती को इस आदेश की प्राप्ति से आठ (8) दिन के अन्दर आवास के आबंटन को स्वीकार करना होगा। यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इस आदेश को स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा और Central Govt. General Pool Residential Accommodation Rules – 2017 of Directorate of Estate के नियमानुसार 17(1) “ if any allottee fails to accept the allotment of a residential accommodation within eight days from the date of allotment of the said accommodation, or fails to take possession of that accommodation within five working days from the date of receipt of the letter authorisation, he shall be debarred to apply for accommodation for a period of three months from the date of non- acceptance of allotment subject to payment of one month’s normal license fee for that type of accommodation” के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।
2. आवास के अधिभोग की तिथि के बारे में निश्चित रूप से अधिभोग की तिथि से 5 दिन के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें।
3. लाइसेन्स फीस आवास में दाखिल होने या आबंटन पत्र के जारी होने की तिथि के आठवें दिन, जो भी पहले हो, से वसूली जाएगी। उनके वेतन बिल से माहवार पानी एवं विद्युत प्रभार के अतिरिक्त एफ0आर. 45-ए के तहत आवश्यकीय लाइसेन्स फीस वसूली जायेगी।
4. आवास रिक्त करने की तिथि से 10 दिन से पहले ही स्पष्ट सूचना देकर आबंटन का समर्पण किया जा सकता है। देय सुचना नहीं देने पर कम हुई सूचना अवधि के लिए किराया अदा करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे समर्पण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए आबंटिती को संस्थान में आवास के आबंटन के लिए दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। आबंटिती को सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के लिए आवास एव उसके परिसर को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा रखना होगा।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों के विपरीत आबंटिती को कोई पेड़ या झाड़ी नहीं लगानी होगी।
6. आबंटिती को सक्षम अधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमति लिये बिना किसी गार्डन, घर के बाहर की जमीन या आवास से लगे हुए अहाते में उगे हुए किसी पेड़-पौधे की छटाई नहीं करनी होगी।
7. आवास आबंटन के नियमों का उल्लंघन करते हुए यदि वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा या साग-सब्जी उगाई जाएगी और मुर्गी या गाय पालन का कार्य किया जाएगा तो आबंटिती की स्वयं की लागत से ऐसे कार्यों को बन्द कराया जा सकता है।
8. आबंटन किये गये आवास के किसी भाग या पूरे आवास को आबंटिती किराये पर नहीं देगा। लेकिन सक्षम अधिकारी को पूर्व लिखित अनुमति से संस्थान के कर्मचारियों के साथ आवास को शेयर किया जा सकता है।
9. कृपया संस्थान परिसर को स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।
10. घरेलू कार्यक्रमों में पॉलीथीन, single use plastic / Thermocol आदि का प्रयोग ना किया जाये अन्यथा आवास का आबंटन रद्द करने योग्य माना जायेगा।


 21/8/20